संख्या-59/आई/1504973/001-23-13-2026-ई-2093081

प्रेषक,

जूली दुबे,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-13 **लखनऊ : दिनांक : 29 अक्टूबर, 2026**

विषय-वित्तीय वर्ष 2026-27 में तहसील/विकास खण्ड मुख्यालयों को 02 लेन से जोड़ने हेतु योजनान्तर्गत जनपद मीरजापुर में 01 परियोजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-2031नि0/147-01नि0/26-27, दिनांक 29.08.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में पं0 दीनदयालय उपाध्याय योजना के अन्तर्गत तहसील/ब्लाक मुख्यालय को 02 लेन मार्गो से जोडे जाने हेतु मार्गो का निर्माण/चौडीकरण/सुदृढीकरण योजनान्तर्गत जनपद मीरजापुर के कछवा कटका मार्ग (अ0जि0मा0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य(लम्बाई 8.500 किमी0) लागत रू0 1590.72 लाख (रू0 पन्द्रह करोड़ नब्बे लाख बहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 में लागत के सापेक्ष रू0 556.75 लाख (रू0 पॉच करोड़ छप्पन लाख पचहत्तर हजार मात्र) को निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र० सं०	जनपद/खण्ड का नाम	कार्य का विवरण	लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1.	मीरजापुर/ प्रान्तीय खण्ड	जनपद मीरजापुर के कछवा कटका मार्ग(अ0जि0मा0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य(लम्बाई 8.500 किमी0)।	1590.72	556.75

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध</u> -

(1)- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(2)- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3)- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(4)- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5)- प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6)- विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(7)- अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011 दिनांक 25 जनवरी, 2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर, 2014 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(8)- लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9)- मूल्यह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

(10)- प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अतः भूमि का क्रय लोक निर्माण विभाग द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(11)- आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी, प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(12)- प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रभाग का मत है कि प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(13)- प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा रही है।

(14)- प्रभाग द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत् मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/लोक निर्माण विभाग का होगा।

(15)- लोक निर्माण विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(16)- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(17)- सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(18)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(19)- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि परियोजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावित कार्य विभागीय नियमों/मानकों के अंतर्गत है।

(20)- प्रस्तावित निर्माण कार्यों हेतु जो भूमि प्रयुक्त की जायेगी, उसका पूर्णत: सरकारी/लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में होना सुनिश्चित किया जायेगा।

(21)- प्रस्तावित निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार से किसानों की निजी कृषि भूमि का उपयोग उनकी सहमति प्राप्त किए बिना नही किया जायेगा। प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति, भूमि उपयोग के संबंध में किसानों की सहमति प्राप्त करने के बाद ही निर्गत की जायेगी। भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिशासी अभियंता की होगी। अगर भविष्य में भूमि संबंधी कोई देयता सृजित होती है तो उसके लिए संबंधित अधिशासी अभियंता को जिम्मेदार मानते हुए उनसे भू राजस्व की भाँति रिकवरी भी सुनिश्चित की जायेगी।

(22)- प्रस्तावित कार्य हेतु भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता की दशा में भूमि अधिग्रहण की अनुमन्यता व स्वीकृति संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा संगत व प्रभावी नियमों के अंतर्गत सुनिश्चित की जायेगी।

(23)- प्रस्तावित परियोजना संबंधित कार्य हेतु निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण करती है, यह सुनिश्चित करने के उपरांत ही प्रस्तावित परियोजनाओं हेतु स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

(24)- परियोजना को शासनादेश निर्गत होने की तिथि से बैठक में निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण करना तथा भविष्य में परियोजनाओं का पुनरीक्षण न किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(25)- परियोजना के संबंध में मुख्य अभियंता एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा अवगत कराये गये सभी बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(26)- यूटिलिटी शिफटिंग होने की स्थिति में कार्य इस प्रकार सुनिश्चित किया जायेगा कि भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण व अन्य संबंधित कार्यों में व्यवधान उत्पन्न न हो तथा यूटिलिटी शिफटिंग की पुन: आवश्यकता न हो। यूटिलिटी शिफटिंग के कार्यों के क्रियान्वयन से पूर्व लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने स्तर से यूटिलिटी शिफटिंग के प्रस्तावित कार्यों का Verification & Revalidation कराते हुए कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। यूटिलिटी शिफटिंग संबंधी कार्यों हेतु भविष्य में कोई भी धनराशि देय नही होगी।

(27)- यदि प्रयोजना प्रस्ताव में विद्युत विभाग से संबंधित यूटिलिटी शिफटिंग सम्मिलित है, तो निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व यूटिलिटी शिफटिंग का विद्युत विभाग से सक्षम स्तर से अनुमोदित विस्तृत आगणन प्राप्त कर लिया जाये।

(28)- विद्युत विभाग की यूटिलिटी शिफटिंग हेतु एन०एच०ए०आई० के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(29)- प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। इस संबंध में कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(30)- परियोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी।

(31)- समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तिया एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(32)- प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं आदि को यथावत मानते हुये लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं आदि को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(33)- परियोजनाओं की पृथक-पृथक रूप से लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उददेश्य से किया गया है। अत परियोजनाओं पर पृथक-पृथक रूप से सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(34)- प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों का यथावत मानते हुये लागत का आंकलन किया गया है। उक्त विषयों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्यों आदि का प्राविधान करना, मार्ग आदि की लम्बाई एवं चौडाई अथवा क्रस्ट डिजाइन में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टिया इस्तेमाल करना इत्यादि के संबंध में विभागीय व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(35)- प्रायोजनान्तर्गत भूमि अध्याप्ति/भूमि अर्जन की कार्यवाही सी०ए०एल०ए० (Competent Authority for Land Acquisition) के माध्यम से न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(36)- परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथया भविष्य में परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, मुख्य अभियन्ता (मु०-1/सेतु), लो०नि०वि० व संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का होगा ऐसी दशा में लागत में बढ़ोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली संबंधित क्षेत्रीय अभियंताओं आदि के वेतन से भू-राजस्व की भांति की जायेगी।

(37)- प्रस्तावित कार्यों के संबंध में प्रभावी समस्त संगत विभागीय नियमो/मानको/शासनादेशों इत्यादि का पूर्णत: अनुपालन व गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा प्रस्तुत परियोजनाओं से संबधित संगत सूचनाए विश्वकर्मा व सृष्टि पोर्टल पर अपडेट किये जाने अथवा पूर्व में ही स्वीकृत है, यह सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, मुख्य अभियन्ता (मु०-1/सेतु) एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

(38)- कार्य प्रारम्भ कराये जाने से पूर्व यथावश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभागों/सस्थाओं से प्राप्त कर लिया जाये।

(39)- स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नही रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(40)- यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(41)- वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी०पी०आर० गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रकिया में यह परिलक्षित होता है की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(42)- प्रश्नगत परियोजना को सी0एम0आई0एस0 पोर्टल पर पंजीकृत कर दिया गया है, जिसका पंजीकरण संख्या-202600003104641 है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,56,75,000 (रुपये पाँच करोड़ छप्पन लाख पचहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054033371347 प0 दीन दयाल उपाध्याय योजना के अर्न्तगत तहसील/ब्लाक मुख्यालय को 02 लेन मार्गो से जोडे जाने हेतु मार्गो का निर्माण/चौडीकरण/सुदृढीकरण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा अशासकीय संख्या-E-8-362-X-2026-27-दिनांक:9-10-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
जूली दुबे
उप सचिव।

संख्या-59/आई/1504973/001-23-13-2026-ई-2093081तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5- मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- सम्बन्धित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
9- संबंधित अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
11- राज्य योजना आयोग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
12- अधीक्षण अभियंता, नियोजन/ परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
13- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/11/12 एवं 14, उत्तर प्रदेश शासन।
14- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लो०नि०वि०, उ०प्र० शासन।
15- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
जूली दुबे
उप सचिव।